न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 16 / 2018

उनवान

1. कल्याण पुत्र पांचू,
2. कैलाश,
3. फूलचन्द,
4. गोविन्द पि0 तेजू,
5. छोटी पत्नी तेजू जाति जाट नि. लोहरवाडा, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री आशीष अजमेरा

बनाम

1 गोमी पत्नी गोपाल,
2. रणजीत पुत्र गोपाल,
3. पप्पू उर्फ प्रधान पुत्र गोपाल जाति जाट नि. लोहरवाडा, नसीराबाद,
4. मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. शाखा नसीराबाद,
5. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 3 जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव
1, 2, 4 अनुपस्थित
5 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

-: निर्णय :- दिनांक – 29/5/25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी पक्ष कर संयुक्त खातेदारी की आराजी ग्राम लोहरवाडा मे स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:17:08 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
56 / 39	किता 8 ...	1.13
55 / 38	[illegible]	4.70

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

१८

उक्त आराजी जमाबंदी सम्वत् 2069–72 में वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसका आज दिनांक तक विभाजन नही हुआ है जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः हाल खसरा नम्बर 2960, 2969 व 2970 में रास्ता मौके अनुसार अंकित कर आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 प्रकरण में अनपुस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 3 को पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उसके द्वारा जवाब पेश नही किये जाने के कारण जवाब बंद किया गया।

अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है व वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। खातेदारी का अनुतोष नही चाहा गया है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होने के कारण जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नही होने से तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश किया है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। वादी ने वाद में खसरा नम्बर 2960, 2969 व 2970 में रास्ता मौके अनुसार अंकित कराने का निवेदन किया है। किन्तु उक्त तथ्य विभाजन प्रस्ताव के समय तय होगे। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पेश कर सकते है। वादीगण विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

अतः ग्राम लोहरवाडा के खाता संख्या 56/39 किता 8 रकबा 1.13 व 55/38 किता 23 रकबा 4.70 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:17:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

कल्याण बनाम गोमी वगै0

दावा बाबत :— 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर — 97/2018
पेश करने की दिनांक — 02.07.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक आशीष अजमेरा मुद्दई अभिभाषक नितेश यादव व राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम लोहरवाडा के खाता संख्या 56/39 किता 8 रकबा 1.13 व 55/38 किता 23 रकबा 4.70 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:17:08 IST
Reason: SelfAttested